

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण को उचित परिपेक्ष्य में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2015–16 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन, सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय—I वित्त लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2016 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज, भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय—II विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढंग का वर्णन करता है। इसमें “अनुदान संख्या—01 कृषि विभाग” तथा “अनुदान संख्या—39 आपदा प्रबंधन विभाग” नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय—III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किए गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार का वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 12,507.16 करोड़ था जो पिछले वर्ष से ₹ 6,660 करोड़ ज्यादा और बजट अनुमान से ₹ 526 करोड़ ज्यादा मुख्यतः राजस्व व्यय में कमी के कारण था।

(कांडिका 1.1.2)

- राज्य का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार उधारी, भारत सरकार से ऋण इत्यादि में वृद्धि के कारण वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 11,179 करोड़ से बढ़कर ₹ 12,061 करोड़ हो गया। तथापि यह बजट अनुमान (₹ 13,584 करोड़) से ₹ 1,523 करोड़ कम था। यह जी0एस0डी0पी0 के 2.92 प्रतिशत, एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के प्रतिमान तीन प्रतिशत और चौदहवें वित्त आयोग (एफ0 एफ0 सी0) द्वारा अनुशंसित 3.5 प्रतिशत के अंदर था।

(कंडिका 1.1.2 एवं 1.11.1)

संसाधन संग्रहण

- राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 96,123 करोड़) में वर्ष 2015–16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 22.58 प्रतिशत (₹ 17,706 करोड़) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः केंद्रीय करो के राज्यांश (₹ 11,959.61 करोड़) और अपना कर राजस्व (₹ 4,698.95 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.1.3)

- राजस्व प्राप्तियों में 22.58 प्रतिशत वृद्धि के कारण जी0 एस0 डी0 पी0 के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता 0.77 (2014–15) से बढ़कर 2.13 (2015–16) हो गई।

(कंडिका 1.3)

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि का हस्तांतरण

- वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 792.71 करोड़ हस्तांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 21.63 प्रतिशत अधिक था।

(कंडिका 1.2.2)

व्यय की गुणवत्ता

- पूँजीगत व्यय (सी0ई0) वर्ष 2014–15 के ₹ 18,150 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 23,966 करोड़ हो गया जो कि मुख्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वर्ष 2014–15 के ₹ 4,647.84 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 8,012.63 करोड़ के वृद्धि के कारण हुई। चुनिंदा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का वर्ष 2014–15 के 51.99 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2015–16 में 43.13 प्रतिशत हो गया। जबकि सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का वर्ष 2014–15 में 5.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 8.70 प्रतिशत हो गई।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.7.2)

- राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली नगण्य थी जिसके कारण पुनर्भुगतान हेतु मार्च 2016 के अंत तक बहुत शेष (₹ 20,857.73 करोड़) हो गया। ऋणों की पुनर्भुगतान वर्ष 2014–15 के ₹ 1,493.06 करोड़ से बहुत मात्रा में घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 18.50 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.8.3)

राजकोषीय देयता

- आंतरिक ऋण में बढ़ोतरी के कारण मुख्यतः राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2014–15 के ₹ 99,056 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,16,578 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.9.2)

अध्याय II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहत् बचत

- वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 1,48,312.57 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध वृहत् बचत ₹ 35,013.80 करोड़ (23.61 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विगत पाँच वर्षों से ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक के सतत् बचत भी 10 विभागों में पाये गये।

(कंडिका 2.2 एवं 2.3.4)

निधियों का अभ्यर्पण

- कुल बचत ₹ 35,013.80 करोड़ में से ₹ 24,455.96 करोड़ (69.85 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित की गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2016) को अभ्यर्पित राशि (₹ 15,913.45 करोड़) था जो कुल अभ्यर्पित राशि का 65.07 प्रतिशत था। यह भी पाया गया कि 38 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 182 योजनाओं में शत–प्रतिशत निधियों (कुल ₹ 5,133.94 करोड़) का अभ्यर्पण किया गया।

(कंडिका 2.2 एवं 2.3.7)

पूर्ववर्ती वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का नियमितिकरण अपेक्षित

- वर्ष के दौरान प्रावधानित राशि से आधिक व्यय की गयी राशि ₹ 119.01 करोड़ के आधिक्य व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत् नियमितिकरण कराना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित ₹ 1,065.07 करोड़ की राशि नियमितिकरण करना बाकी था।

(कंडिका 2.3.1 एवं 2.3.2)

विभागीय आँकड़ों का समाशोधन

- वर्ष 2015–16 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार के पुस्त के साथ 76 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 66,962.68 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया। 21116 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी0डी0ओ0) में से केवल 3317 (16 प्रतिशत) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने ही अपने लेखाओं का समाशोधन मार्च 2016 तक किया था।

(कंडिका 2.5 एवं 3.7)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015–16 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 6,117.60 करोड़ के 139 आहरण हुए थे। इसमें से ₹ 2,927.07 करोड़ (47.85 प्रतिशत) के 80 आहरण नित्य व्यय के प्रयोजन हेतु थे। इसमें ₹ 897.07 करोड़ (16 आहरण) शिक्षा विभाग के संविदा शिक्षकों के वेतन इत्यादि पर व्यय, ₹ 640 करोड़ (3 आहरण) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्री–मैट्रीक छात्रवृत्ति के राज्यांश इत्यादि के लिए और ₹ 600.88 करोड़ (8 आहरण) सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा स्थापना व्यय, शामिल था।

(कंडिका 2.6)

कृषि एवं आपदा प्रबंधन विभाग में कमी

- मूल प्रावधान में वृहद बचत (कृषि विभाग में 54.25 प्रतिशत और आपदा प्रबंधन विभाग में 85.91 प्रतिशत) के बावजूद अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोजन के जरिए विभागों द्वारा निधियों का प्रबंधन किया गया। फिर भी विभागों द्वारा बचतों को ससमय अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(कांडिका 2.8 एवं 2.9)

अध्याय III वित्तीय प्रतिवेदन

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध आहरित ₹ 29,399.87 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2016 तक लंबित था। जिसमें से तीन विभागों यथा शिक्षा विभाग (₹ 9,282.33 करोड़ के 416 उपयोगिता प्रमाण पत्र), पंचायती राज विभाग (₹ 7,414.19 करोड़ के 232 उपयोगिता प्रमाण पत्र) और शहरी विकास विभाग (₹ 4,074.32 करोड़ के 555 उपयोगिता प्रमाण पत्र) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुति के लिए लंबित था।

(कांडिका 3.1)

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 12,074.32 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि मार्च 2016 तक लंबित थे इसमें ₹ 2,190.02 करोड़ मूल्य के 14147 विपत्र तीन वर्षों से अधिक से लंबित थे।

(कांडिका 3.2)

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों/संगठनों द्वारा 31 मार्च 2016 तक आहरित ₹ 191.23 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय समायोजित होने शेष थे।

(कांडिका 3.6)

व्यक्तिगत खाते में जमा राशि का हस्तांतरण

- मार्च 2016 तक व्यक्तिगत जमा खातों में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों का ₹ 4,126.37 करोड़ रूपये अव्ययित पड़े थे। व्यक्तिगत जमा खातों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने अव्ययित शेष को समेकित निधि में वापस नहीं किया था।

(कांडिका 3.9)